निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 659) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2014

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी 2014

सं० निग/सारा–2 (पथ)–55/03–521 (एस)––श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित 25 आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक–5997 (एस) अनु0 दिनांक 17.08.96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं उनके सेवानिवृत होने के उपरांत उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–2643 (एस) दिनांक 04.04.02 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2. श्री साहू द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विभागीय कार्यवाही में भाग लेने एवं पत्राचार/स्थायी पता उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, परन्तु फलाफल अप्राप्त रहा। अंततः श्री साहू द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14163 (एस) अनु0 दिनांक 23.12.11 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए एकपक्षीय सुनवाई कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा सुनवाई करते हुए श्री साहू के विरूद्ध गठित 25 आरोपों में से आरोप संख्या–23 से 25 यथा–सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये ₹7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकारी के वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री साहू से विभागीय पत्रांक–4616 (एस) अनु0 दिनांक 02.05.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, परन्तु श्री साहू के पत्राचार पता/स्थायी पता उपलब्ध नहीं करने के कारण उक्त कारण पृच्छा की मांग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पत्रांक–3012 दिनांक 10.05.12 द्वारा की गयी।

3. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग किये जाने के उपरांत भी श्री साहू ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया और न ही विभाग को अपना पत्राचार पता/स्थायी पता उपलब्ध कराया। तत्पश्चात् श्री साहू के विरूद्ध गठित आरोपों में प्रमाणित पाये गये आरोप यथा–सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये ₹7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकारी के वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए पूरे मामले

के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णय अनुसार इनके पेंशन शून्य करने के प्रस्ताव पर पत्रांक–7091 (एस) अनु0 दिनांक 04.09.13 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी है।

4. बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–2080 दिनांक 19.12.13 द्वारा श्री साहू के पेंशन शून्य किये जाने संबंधी प्रस्तावित विभागीय दंड पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं बताया। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुनः समीक्षोपरांत यह स्थापित पाया गया कि "सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये ₹7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं किये जाने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकार के वित्तीय निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने एवं योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता" श्री साहू के गंभीर कदाचार का परिचायक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह श्री साहू सरकार को हुई वित्तीय क्षति एवं गंभीर कदाचार के लिए स्पष्टतः दोषी हैं। इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड युक्ति–युक्त एवं समानुपातिक पाते हुए, एवं आयोग के सलाह को बाध्यकारी नहीं मानते हुए श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है–

(क) इनका पेंशन शून्य पर निर्धारित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 659-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in